राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2020 अपील

1. श्रीमती छाउ देवी पत्नी रामा जाट बनाम निवासी हरणी कलां तहसील भीलवाडा
2. महादेव पिता रामा जाट, निवासी हरणी कलां
3. बालकिशन पुत्र रामा जाट निवासी हरणी कलां
4. गोपाल पुत्र रामा जाट निवासी हरणी कलां
5. विमला पुत्री रामा जाट निवासी हरणी कलां
6. छोटी पुत्री रामा जाट निवासी हरणी कलां जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

1. सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा
2. नगर विकास न्यास, भीलवाडा जरिये सचिव नगर विकास, भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार भीलवाड़ा नामान्तरण संख्या 1393 दिनांक 07.02.2013

उपस्थित –

1. श्री नानूलाल तेली अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी 01 की ओर से
3. विभागीय पेरोकार – विपक्षी संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.03.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम हरणी कलां, पटवार हल्का हरणी कला, तहसील एवं जिला भीलवाडा की सरहद में आराजी सं 1106 रकबा 13 बीस्वा स्थित है, जो पूर्व में देबी लाल पुत्र प्रताप जाट, राजूदेवी, जमनी देवी पुत्रीयां प्रताप जाट, व नोजी बेवा प्रताप जाट 1/2 हक हिस्सा व रामा पिता लाला जाट 1/2 हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। रामा पुत्र लाल जाट अपीलाण्ट का पति/पिता है,जिसका दिनांक 14.05.2017 को देहान्त हो गया। अपीलाण्ट्स रामा पिता लाला जाट के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। अपीलाण्टस् के पति/पिता रामा जाट ने अपने जीवन काल में अपनी उक्त आराजी नम्बर 1106 में अपने 1/2 हक हिस्से के संबंध में

(8) नहीं कराया, न ही उक्त आरजियात में अपना हक हिस्सा विपक्षी सं. 02 के पक्ष में समर्पित किया। फिर भी रेस्पोडेंट सं. 01 ने गलत एवं अवैध तरीके से रामा जाट का 1/2 हक हिस्सा उक्त आक्षेपित नामान्तरण के जरिये रेस्पोडेंट सं. 02 के नाम पर दर्ज कर दी जो कि सरासर गलत एवं अवैध एवं विधि विरूद्ध है। इस कारण उक्त नामान्तरण आदेश अपास्त होने योग्य है। उक्त आराजी सं. 1106 के पुर्नग्रहण के संबंध में अपीलाण्ट के पिता को उनके जीवनकाल में कोई सूचनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है, न ही उन्हें किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया था, तथा उक्त नामान्तरण आदेश स्वीकृत किये जाने के समय भी अपीलाण्ट व रामा जाट को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा बिना किसी आधार के उक्त नामान्तरण स्वीकृत कराया जाकर आराजी सं. 1106 रेस्पोडेंट सं. 02 के नाम दर्ज कर दी। उक्त आराजी के 1/2 हक हिस्से पर अभी भी अपीलाण्ट्स का कब्जा है तथा अपीलाण्ट्स ने अपने हक हिस्से के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बनाकर अपना गेट लगा रखा है तथा अपने सामान आदि डाल रखे है। उक्त आराजी का कभी भी विपक्षी रेस्पोडेंट सं. 02 को कब्जा हस्तान्तरण नहीं किया गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम हरणी कला, पटवार हल्का हरणी कला, तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी सं. 1106 रकबा 13 बिस्वा में अपीलाण्टस के पिता रामा जाट के 1/2 हक हिस्से के संबंध में रेस्पोडेंट सं. 02 द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 1393/07.02.2013 को अपास्त फरमाया जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2013(2) पेज 1327, आरआरटी 2016(2) पेज 1208, आरआरटी 2021(1) पेश किये।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व ग्राम हरणीकलां की आराजी सं. 1105 रकबा 1–01 बीघा 1106 रकबा 0–13 बीघा मे खातेदारान द्वारा 17/6/99 से पूर्व भूखण्ड काटकर विक्रय किये गए थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क (8) के अधीन कार्यवाही के निर्देश स्थानीय प्राधिकारी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा प्रदान किए जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित खातेदार को जरिए नोटिस तलब किया गया एवम् अन्य हितबद्ध व्यक्तियो आदि को आक्षेप प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु लोक सूचना को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। प्रारूप 13 में सूचना की एक प्रति संबंधित तहसीलदार भीलवाड़ा एवं न्यास तहसीलदार का पद रिक्त होने से न्यास के भू–अभिलेख निरीक्षक को भी रिपोर्ट हेतु प्रेषित की गई एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आराजियात को नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या एस.एम. 39 दिनांक 2.01.2013 से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के तहत् राज्य पक्ष में पुनर्ग्रहित करते हुए नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज किए जाने का आदेश जारी किये जाने के फलस्वरूप आदेश की पालना में प्रश्नगत नामान्तरकरण जारी किया हैं, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने भवन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत आराजियात का अकृषिक उपयोग की पुष्टि होने पर एवं प्रश्नगत आराजियात के 90A (8) के तहत् कार्यवाही बाबत् सार्वजनिक उजरदारी जारी की गई थी, जिसके क्रम मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर 1) चूना पिता नाना बलाई निवासी हरणीकलां ग्राम हरणीकलां आराजी नंबर 1105, 1–01 बीघा व (2) देवीलाल पिता प्रताप, राजूदेवी, जमनीदेवी पुत्रियां प्रताप, नोजीबाई बेवा प्रताप 1/2 रामा पिता लाल 1/2 जाट सा.देह ग्राम–हरणीकलां आराजी नम्बर 1106 व 0–13 बीघा को भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के तहत् राज्य पक्ष में पुनर्ग्रहित करते हुए नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया गया। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास भीलवाडा को भी प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा